सरकारी एजेंसियों को कम से कम 25% घरेलू मेडिकल डिवाइस खरीदना जरूरी (21-03-2018)

नई दिल्ली, 20 मार्च 2018: सरकारी एजेंसियों द्वारा मेडिकल डिवाइस की खरीद में कम से कम 25 फीसदी प्रोडक्ट घरेलू कंपनियों के होने जरूरी होंगे। सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ये निर्देश जारी किया है। माना जा रहा है कि इससे घरेल मेडिकल डिवाइस कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा।

डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्मास्युटिकल्स का कहना है कि जब भी कोई पब्लिक एजेंसी मेडिकल डिवाइस का प्रॉक्योरमेंट करे तो उसे यह ध्यान रखना होगा कि उसमें 25 से 50 फीसदी लोकल कंटेंट जरूर हो। इसमें मेडिकल डिस्पोजल, मेडिकल हॉस्पिटल इक्यूपमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और डयाग्नोस्टिक रीएजेंट जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं।

गाइडलाइन के अनुसार यह नॉर्म 50 लाख तक की खरीद पर लागू होगा। डिपार्टमेंट का कहना है कि समय समय पर डाटा जुटाया जाएगा और अगर जरूरी होगा तो एक साल बाद या पहले लिमिट को रिवाइज किया जाएगा।